न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल , आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 54/2018
प्रविष्टि दिनांक 2–7–2018

1–श्रीमति किस्तूरी देवी धर्मपत्नि स्वर्गीय श्री कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खोहल्या तह0 उनियारा जिला–टोंक
2–आत्माराम दत्तक पुत्र स्वर्गीय श्री कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खोहल्या तह0 उनियारा जिला–टोंक

–अपीलान्टस

बनाम

1–रामकन्या पुत्री स्वर्गीय श्री कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खोहल्या तह0 उनियारा जिला–टोंक
2–रूपा पुत्री स्वर्गीय श्री कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खोहल्या तह0 उनियारा जिला–टोंक
3–मीरा पुत्री स्वर्गीय श्री कालूराम जाति मीणा निवासी ग्राम खोहल्या तह0 उनियारा जिला–टोंक
4–नायब तहसीलदार उनियारा मु0 अलीगढ जिला–टोंक राज0

–रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 587 ग्राम खेहल्या द्वारा नायब तहसीलदार उनियारा मु0 अलीगढ दिनांक 29–6–2017

उपस्थिति –(1) श्री दौलतराम जाट अभिभाषक अपीलान्टस
(2) श्री राकेश चोपड़ा अभिभाषक रेस्पोडेण्टस अनुपस्थित

निर्णय दिनांक 7–12–2020

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अपीलान्ट सं0 1 के पति व अपीलान्ट सं0 2 के पिता श्री कालूराम पुत्र स्वरूपा मीणा की कृषि आराजीयात ग्राम खोहल्या तह0 उनियारा की खातेदारी में दर्ज थी। अपीलान्ट के पति व पिता कालूराम के स्वर्गवास होने पर उसकी विरासत का नामा0 सं0 587 पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 3 के नाम भरा जाकर नायब तहसीलदार उनियारा द्वारा उक्त नामान्तरकरण को दिनांक 29–6–2017 को तस्दीक किया गया, जिससे अपीलान्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की [illegible] मंगवाई गई तथा प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट की बहस सुनी [illegible] कोई उपस्थित नहीं हुआ उनकी ओर से अभिभाषक द्वारा लिखित बहस [illegible] की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:05:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नामान्तरकरण आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ नायब तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को नोटिस नहीं दिया गया ओर न ही सुनवाई का अवसर दिया गया उक्त नामान्तरकरण में 1 ता 3 के नाम गलत रूप से अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो वास्तविकता से विपरीत होते हुए निरस्त योग्य है। अपीलान्टस के पति व पिता कालूराम अनुसूचित जन जाति (मीणा) जाति के थे ओर मीणा जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम अपने आप में धारा 2(2) के अन्तर्गत इस अधिनियम का अनुसूचित जन जाति (मीणा) के सदस्यों पर प्रभावी न होना वर्णित करता है ओर यह भी प्रतिबंधित किया गया है कि जब तक केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके अन्यथा निर्देशित न करे, तब तक यह अधिनियम अनुसूचित जन जाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम मीणा जाति पर लागू नहीं होने के उपरान्त भी योग्य अधिनस्थ नायब तहसीलदार ने अपीलान्टस के पति व पिता की आराजियात का नामान्तरकरण मृतक की पुत्रियों के नाम तस्दीक कर दिया गया जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलान्टस ने यह भी तर्क दिया कि मृतक कालूराम की विधवा व दत्तक पुत्र होने के कारण पुराने हिन्दू लॉ के प्रावधान के अधीन कालूराम की मृत्यु के बाद उसकी खातेदारी की भूमि में विरासत पाने की अधिकारी है तथा रेस्पोडेण्टस नम्बर 1 ता 3 मृतक कालूराम की पुत्रियां होने के कारण विरासत पाने की अधिकारणी नहीं रहती। इन अहम कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर योग्य अधिनस्थ नायब तहसीलदार ने नामान्तरकरण निरस्त तस्दीक कर कानूनी भूल की हैं। जिससे उक्त नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। मीणा जाति जो कि अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आती है तथा मीणा जाति में कस्टमरी लॉ लागू होता है जिसमें कि मृतक की विधवा के जीवित रहते हुए मृतक की पुत्रियों को विरासत में कोई अधिकार नहीं रहता। इसके बावजूद भी अधिनस्थ नायब तहसीलदार ने उक्त नामन्तरकरण निरस्त योग्य है। उक्त भूमि पर मोके पर अपीलान्टस का ही उसके पति के जीवन काल से कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी अपीलान्टस का ही कब्जा है। इस जमीन पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 का किसी तरह का कोई कब्जा भी नहीं रहा है। अधिनस्थ नायब तहसीलदार जी को उक्त नामान्तरकरण आदेश पारित करने का विधि अनुसार कोई अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि विरासत का नामान्तरकरण स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत द्वारा ही तस्दीक किया जाता है। जिससे भी नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण का पूर्व में कोई ज्ञान नहीं था। अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण का ज्ञान दिंनाक 14.6.2018 को पटवार हल्का द्वारा यह बताये जाने पर कि अपीलान्टस के पति व पिता कालूराम की आराजीयात का नामांन्तरकरण अपीलांट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 3 के नाम तस्दीक हो चुका है। जिस पर अपीलान्टस ने उसी दिन नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन पेश करवाया। जिसकी कल दिनांक 15.6.2018 को सांयकाल प्राप्त हुई। उसके बाद कानूनी सलाह प्राप्त कर खर्चे का इन्तजाम करके आज यह अपील बिना किसी देरी के पेश की जा रही है। यदि फिर भी कोई देरी मानी जाये तो उसे कन्डोन करने के लिए अलग से धारा 5 लि0 एक्ट का आवेदन मय [illegible] पत्र के पेश किया जा रहा है। नामान्तरकरण अवैधानिक होने से निरस्तनीय है [illegible] अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे। इस सम्बन्ध में वकील अपीलान्टस ने [illegible] प्रस्तुत किये – आर आर डी 2006 पेज 464, आर आर डी [illegible] आर आर डी 1966 पेज 71, आर आर डी

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:05:17 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय जिला कलेक्टर (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

1980 पेज 769, आर आर डी 1988 पेज 61 आर एल डब्लू 2006(2) राज. पेज 813, आर आर डी 2007 पेज 470, नकल निर्णय अति. संभागिय आयुक्त अजमेंर निर्णय दिनांक 10.12.2010, परिपत्र राज. सरकार राजस्व मण्डल अजमेंर 1–241 दिनांक 2.1.2006,आर आर डी 2002 पेज 31

रेस्पोडेण्ट्स की ओर अभिभाषक ने भी अपनी लिखित बहस में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के जवाब में कथन किया कि अपीलान्टस स्व0 कालूराम की पत्नि व दत्तक पुत्र है जिसके स्वर्गवास होने पर उसके वारिसान के नाम नामान्तरकरण सं0 587 दिनांक 29–6–2017 को नायब तहसीलदार उनियारा द्वारा तस्दीक किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स मीणा जाति के हैं तथा रेस्पासेडेण्ट्स 1 ता 3 स्व0 कालूराम की पुत्रियॉ हैं ओर मीणा जाति पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। मीणा जाति में पिता की सम्पत्ति में उसकी पुत्रियों का कोई हक व अधिकार नहीं होता है। रेस्पासेडेण्ट्स 1 ता त स्व0 कालूराम की मृत्यु होने पर जो उपरोक्त नामा0 भरा गया है वह गलत रूप से भरा गया है। रेस्पोडेण्ट्स मीणा जाति की होने से उनका अपने पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं है। हम रेस्पोडेण्ट्स को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है ओर न ही हम उक्त नामान्तरकरण के सम्बन्ध में भविष्य में कोई आपत्ति करेंगे। नामान्तरकरण सं0 587 दिनांक 29–6–2017 द्वारा नायब तहसीलदार उनियारा को हम रेस्पोडेण्ट की हद तक निरस्त करार दिया जाकर कालूराम की सम्पत्ति का नामान्तरकरण केवल मात्र अपीलान्टस के नाम ही भरा जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नायब तहसीलदार उनियारा द्वारा नामान्तरकरण सं0 587 दिनांक 29–6–2017 कालूराम मीणा की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिसान दत्तक पुत्र आत्माराम, रामकन्या, रूपा, व मीरा पुत्रियॉ कालूराम मीणा के नाम बाद जॉच स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेण्ट्स कालूराम मीणा के विधिक वारिसान है। अपीलान्ट यदि अपनी पुत्रियों के नाम दर्ज भूमि के हिस्से को अपने नाम करवाना चाहती हैं तो नियमानुसार बेचान/हक त्याग से अपने नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही कर सकती हैं। अतः तहसीलदार उनियारा द्वारा उक्त स्वीकृत किये गये वादग्रस्त नामान्तरकरण में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार उनियारा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण सं0 587 दिनांक 29–6–2017 वाके ग्राम खोहल्या यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7–12–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:05:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner